GOCASSTA/13

**उत्तर प्रदेश शासन**
**परिवहन अनुभाग–2**
**संख्या– 515/30–2–2013–01(2)/2007**
**लखनऊः दिनांक 14 मई, 2013**

## अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार ने उपान्तरण उपबन्धों के अधीन निजी प्रचालकों को उनकी निजी मंजिली गाड़ियॉ चलाने की अनुज्ञा दिये जाने हेतु 460 अधिसूचित मार्गों के सम्बन्ध में पूर्व में अधिसूचित विभिन्न योजनाओं को उपान्तरित करते हुए संलग्न योजना संख्या–530/30–2–2008–01(2)/2007, दिनांक 28 मार्च, 2008 को प्रकाशित किया है,

और चूँकि राज्य सरकार अधिसूचना संख्या–530/30–2–2008–01(2)/2007, दिनांक 28 मार्च, 2008 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में दाखिल रिट संख्या–398(एम/बी)/2008, यू0पी0 रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं साथ में सम्बद्ध 11 रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07 मई, 2008 के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना में विचारित नीतिगत निर्णय का अनुपालन न किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्वोक्त उल्लिखित योजना को विखण्डित करना आवश्यक समझती है,

और चूँकि राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है;

अतएव, अब मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59,सन,1988) की धारा–102 की उपधारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या–530/30–2–2008–01(2)/2007, दिनांक 28 मार्च, 2008 को विखण्डित करना प्रस्तावित करते हैं जिसे एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उपर्युक्त प्रस्ताव द्वारा सम्भावित रूप में प्रभावित होने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग–2, लखनऊ को अभ्यावेदन, यदि कोई हो, कर सकता है।

इस प्रकार इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई सुनवाई प्राधिकारी अर्थात विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 20 जून, 2013 को अपरान्ह 03:00 बजे कक्ष संख्या 409 चतुर्थ तल, बापूभवन, सचिवालय, लखनऊ में की जायेगी।

(बी0एस0भुल्लर)
प्रमुख सचिव।